दिनाँक ....

स्थानीय परिवहन अनुज्ञप्ति के लिए प्रारूप सत्र- 2025-26

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जिला-दतिया में सत्र 2025-26 से बस सेवा प्रारंभ करने हेतु सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, विवरण निम्नानुसार हैं :

1. बस मालिक का नाम/पता...आधार कार्ड...
2. बस परिवहन कम्पनी का नाम..
3. बस क्रमांक.......................................मॉडल...वैध रजिस्ट्रेशन कार्ड की प्रति...............
4. अनुज्ञप्ति बस की फोटो..
5. बस ड्रायवर का नाम/पता एवं आधार कार्ड...
6. बस ड्रायवर का लाइसेंस का विवरण..
7. बस कंडक्टर/क्लीनर का नाम/पता/आधार कार्ड...
   ....
8. अनुबंधित बस की परिवहन विभाग से फिटनेस/परमिट/प्रदूषण जाँच कार्ड/बीमा एवं अन्य परिवहन कर एवं सेवा कर आदि दस्तावेज संलग्न करें।
9. बस के प्रारम्भ प्रात: 10 बजे, महाविद्यालय आगमन प्रात: 10:55AM।
10. बस महाविद्यालय से निर्गमन का समय 4.30 से 5 बजे के अपरान्ह के मध्य रहेगा।
11. बस संचालन हेतु समस्त मासिक व्यय प्रति कि.मी. के अनुसार राशि अंकों एवं शब्दों में बस मालिक द्वारा अंकित किया जाये तथा हस्ताक्षर किये जावें या मासिक व्यय पृथक-पृथक से संलग्न किया जाये।
12. **बस का प्रस्थान- हमीरपुर तिराहा (उनाव रोड) 10:00 AM से बस स्टैण्ड 10:05 AM, बस स्टैण्ड 10:10 AM, झाँसी रोड़ बाईपास फिल्टर प्लांट होते हुए जिला न्यायालय तिराहा 10:20 AM, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलौनी होते हुए झाँसी चुंगी 10:30 AM पुल के नीचे, झाँसी चुंगी से सिविल लाइन होते हुए राजघाट तिराहा, 10:35 AM] राजघाट तिराहा से राजघाट कॉलौनी होते हुए ग्वालियर हाईवे मेडीकल कॉलेज होस्टल से होते हुए छोटा फुब्बारा, सिंधी धर्मशाला के सामने से होते हुए चूनगर फाटक, चूनगर फाटक से ईदगाह मोहल्ला होते हुए शासकीय पी.जी कॉलेज दतिया केम्पस में 10:50 AM आएगी। इसी प्रकार वापिसी करेगी।**
    नोट- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार रूट चार्ट एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
13. बस ड्रायवर/कन्डेक्टर/क्लीनर का पारिश्रमिक मानदेय, बस की दैनिक टूट-फूट, दुर्घटनागत, क्षतिपूर्ति, इंजन, टायर एवं आवश्यक व्यय की पूर्ति बस संचालक को ही स्वयं करना होगी। महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
14. प्रत्येक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बस में, बस के आगे एवं पीछे **"ON GOVT. P.G. COLLEGE DUTY"** लिखा होगा। बस के दोनों तरफ बैनर लगाया जायेगा। इसकी डिज़ाइन पृथक से सूचित की जायेगी।
15. बस में मेडिकल किट, सुरक्षा की दृष्टि से ग्रिल, दरवाजों पर कुंदी, लॉक एवं अग्निशमन यंत्र का होना अनिवार्य है।
16. बस की बाहरी सतह पर महाविद्यालय एवं निकटतम पुलिस स्टेशन का हेल्प नंबर अंकित होना जरूरी है।
17. बस की गति निर्धारित गति सीमा में ही रहना जरूरी है। ओवर स्पीड निषिद्ध है। बस में जी.पी.एस. एवं गति नियंत्रण यंत्र का होना अनिवार्य है।
17. नियमों के सत्यापन एवं पालन का परीक्षण/निरीक्षण की पुष्टि से विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक/महाविद्यालय स्टाफ कभी भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
18. अधिकृत यात्रा पास दिखाने पर विद्यार्थी बस में निःशुल्क यात्रा करेंगे।
19. बस संचालन स्टाफ (ड्रायवर/कंडेक्टर/क्लीनर) का परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित गणवेश (ड्रेस) एवं साथ में अधिकृत परिचय पत्र का होना अनिवार्य है। मद्यपान एवं किसी भी प्रकार का व्यसन निषिद्ध रहेगा।

क्रमशः 2

20. निविदा महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि **07 अक्टूबर 2025 सायं 5 बजे तक है।** समयावधि समाप्ति के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
21. भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत निविदा के माध्यम से बस सेवा प्रदाता का चयन कॉलेज द्वारा किया जायेगा।
22. "बस सेवा" महाविद्यालय की जनभागीदारी मद से प्रारंभ की जायेगी तथा समस्त व्यय जनभागीदारी मद के अंदर ही भुगतान होगा।
23. “बस सेवा” की निविदा स्वीकृत, अस्वीकृत, निरस्तीकरण या संशोधन का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा के चयन पर "बस सेवा" प्रदाता को महाविद्यालय प्रशासन के साथ अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि एक अकादमिक सत्र अर्थात् 2025-26 में 30 जून 2026 तक रहेगी। 30 जून के बाद अनुबंध स्वत: निरस्त माना जावेगा।
25. राज्य शासन/जिला प्रशासन/महाविद्यालय प्रशासन एवं अन्य प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी अवकाश का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
26. उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन/महाविद्यालय प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन परिक्षेत्र दतिया रहेगा।

संलग्न- समस्त आवश्यक दस्तावेज

हस्ताक्षर (बस मालिक)

बस मालिक का नाम ....

कम्पनी ....

मोबाइल नं. ....

पता ....

....